निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 905) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 जुलाई 2015

स० 22/नि0सि0(यॉ0)–04–01/2014/1675—श्री लाल मोहन झा, सहायक अभियंता (यॉ0), आई0 डी0–एम0 413, सिंचाई यॉंत्रिक अवर प्रमंडल, बौंसी (बांका) बिना सूचना के दिनांक 01.12.2012 से लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहने तथा इस संदर्भ में दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के उपरांत भी उनके द्वारा योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना सं0 5073 दिनांक 18.09.13 द्वारा श्री झा की सेवा लघु जल संसाधन विभाग को सौंपी गई, परन्तु लघु जल संसाधन में भी श्री झा द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया, जो श्री झा के कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, कार्य में उदासीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का परिचायक है। उक्त अनियमितता के लिए श्री झा को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 257 दिनांक 28.02.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

इस बीच श्री झा दिनांक 30.11.14 को सेवानिवृत्त हो गये। फलतः श्री झा को सेवानिवृत्ति की तिथि 30.11.14 से निलंबन मुक्त करते हुए पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या 283 दिनांक 28.01.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 358 दिनांक 23.05.2015 द्वारा जॉंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इनकी अनधिकृत अनुपस्थिति इनके खराब स्वास्थ्य के कारण से हुई है। आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान भी इसी निष्कर्ष को सम्पुष्ट करता है।

अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री झा को विभाग द्वारा दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया, किन्तु निलंबन की अवधि में उपलब्ध पूर्ण वेतन अवकाश/ अर्द्धवैतनिक अवकाश अथवा अवकाश नहीं रहने पर अवैतनिक अवकाश के रूप में समायोजित किया जायेगा, परन्तु इसे सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री झा, तत्कालीन सहायक अभियंता (याँ0), सिंचाई याँत्रिक अवर प्रमंडल, बौंसी (बांका) सम्प्रति सेवानिवृत्त अभियंता को दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु निलंबन की अवधि में उपलब्ध पूर्ण वेतन अवकाश/अर्द्धवैतनिक अवकाश अथवा अवकाश नहीं रहने पर अवैतनिक अवकाश के रूप में समयोजित किया जायेगा, परन्तु इसे सेवा में टूट नहीं माना जायेगा।

उक्त निर्णय श्री झा, तत्कालीन सहायक अभियंता (याँ0) को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 905-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in